कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.inn वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

कमांक / आवंटन / 2014 / 1802–5 / 2/2346-78 दिनांक :: 22 अक्टूबर, 2014

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2014 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या 2 :: न्यू मिल्कमैन कॉलोनी ग्राम बड़ली में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

विशेष अनुमति याचिका संख्या 247/2007 मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति बनाम् राजस्थान सरकार एवं अन्य में तथा डी.बी. सिविल अवमानना पीटीशन 602/2011 महेन्द्र लोढा बनाम् राजस्थान सरकार व अन्य के निर्देशो की पालना में जोधपुर शहर के भीतर संचालित डेयरी एवं पशुपालकों को जोधपुर शहर के बाहर शिफ्ट किया जाना है। उपरोक्त निर्देशो की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में "न्यू मिल्कमैन कॉलोनी" (गोकुल धाम) को प्रस्तावित किया गया। उपरोक्त विषय में निवेदन है नगरीय विकास विभाग के पूर्व पंत्राक प.3(1136)नविवि/03/2010 दिनांक 17.06.2012 के द्वारा ग्राम बडली के खसरा सख्या 88 में आवासीय गतिविधियों पर लगाये गए पूर्ण प्रतिबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए मिल्कमैन कॉलोनी विकसित किए जाने की स्वीकृती प्रदान की गई है।

उपरोक्त मिल्कमैन कॉलोनी के संबंध मे निम्नलिखित निर्णय लिए जाने प्रस्तावित है:–

01. मिल्कमैन कॉलोनी एक विशेष आवासीय श्रैणी की योजना है जो कि केवल पशुपालकों हेतु होगी अतः भूखण्डो के आवंटन का आधार आय श्रैणी नहीं होगी। जिस हेतु नगरीय भूमि निष्पादन नियम 17 के तहत छूट/शिथिलता चाही गयी हैं। साथ ही टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत 10 हैक्टयर से अधिक की योजना में एल.आई.जी. एवं ई. डब्ल्यु. एस. हेतु सुरक्षित रखे जाने वाले भूखण्डो का भी प्रावधान नही होगा। अतः भूमि निष्पादन नियम 1974 के सेक्शन 17 में एवं टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान ई. डब्ल्यु.एस. एवं एल.आई.जी. में छूट चाहने बाबत् राज्य सरकार को पत्र लिखकर स्वीकृति चाही जानी है।

02. राजस्थान नगर विकास (नगरीय भूमि निष्पादन एवं आवंटन) नियम, 1974 के नियमों के अनुसार कॉर्नर भूखण्डों का आवंटन नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। इन नियमों में शिथिलता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करते हुए कॉर्नर भूखण्डों

को आरक्षित दर का 10 प्रतिशत अधिक राशि पर लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने की अनुमति प्राप्त करने का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सभी पात्र आवेदकों को एक समान आय श्रेणी का मानते हुए योजना के मानचित्र में दर्शाये गये भूखण्डों को लॉटरी से आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए भी राज्य सरकार की पूर्वानुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

03. चूंकि उपरोक्त मिल्कमैन योजना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत 50 हैक्टयर से अधिक हैं अतः इस हेतु राज्य सरकार से नियमानुसार पर्यावरणीय क्लिरेन्स (Environmental Clearance) हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जावेगा।

04. गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2014 में लिये गये निर्णयानुसार मिल्कमैन कॉलोनी में लगभग सामान आकार के भूखण्ड़ रखे जाने का निर्णय लिया गया था। इस कम में योजना का मानचित्र संशोधन उपरान्त कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन करने के उपरान्त राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है।

05. गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के प्रस्ताव संख्या 2 में यह निर्णय लिया गया था कि नगर निगम, जोधपुर द्वारा प्रेषित 125 पत्रावलियों में मतदाता सूची वर्ष 1999 व वर्ष 2009 में आवेदक के नाम का साक्ष्य भी पत्रावली में संलग्न किया जावे। चूंकि नियम 1974 में आवंटन की शर्तों के अनुसार राजस्थान का मूल निवासी होने की अनिवार्यता है। इस कारण मतदाता सूची वर्ष 1999 व वर्ष 2009 के स्थान पर आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र आवंटन के समय मांगा जाना उचित होगा। तद्नुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

06. गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के प्रस्ताव संख्या 2 में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावित योजना की श्रेणी आवासीय मानी जावे अथवा व्यवसायिक? इसके पश्चात् ही आरक्षित दर का निर्धारण कर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे। चूंकि राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 17 जून, 2010 के द्वारा पशुपालकों को बड़ली के खसरा संख्या 88 में शिफ्ट करने की स्वीकृति आवासीय गतिविधियों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदान की गयी है। इस कारण गोकुलधाम को आवासीय श्रेणी में माना जावेगा और आरक्षित दर का निर्धारण भी आवासीय अनुसार किया जावेगा। इसी अनुसार आरक्षित दर निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त समस्त प्रस्ताव स्वीकृत/अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: कुडी भगतासनी को पाली रोड पर मिलाने हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का डाईवर्जन प्लान की स्वीकृति दिलाने बाबत।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कुड़ी भगतासनी रोड़ को पाली रोड़ से मिलाने हेतु आने वाली वन विभाग की भूमि को अधिकृत करने हेतु डाइवर्जन प्लान के संबध में निम्न प्रकार से निवेदन है:–

1. वन विभाग के द्वारा डाइवर्जन प्लान हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार फाईल तैयार की गई है। जिस पर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कर भेजी जानी है।
2. तैयार किये गये प्लान में निर्धारित प्रफोर्मा पर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कर सहमती दी जानी है।
3. अवाप्त की जानी वाली वन भूमि का विवरण
   (I) 235x98.4 Fit = 0.2148 Hector (वन विभाग)

2

(II) 125x98.4 Fit = 0.1143 Hector (आफरी)

योग 460x98.4 Fit = 0.329 Hector (जो वन भूमि है)

4. उक्त भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु भूमि देने की अण्डरटेकिग का सहमती पत्र पर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर किये जाने है।

5. अवाप्त की जानी वाली भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वर्तमान मूल्य की अण्डरटेकिग का सहमती पत्र पर प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर।

6. वन विभाग अपने विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार उपरोक्त बिन्दु 4 व 5 की राशि का निर्धारण करेगा। जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा वन विभाग को किया जाना है। इस सम्बन्ध में निर्धारित राशि का पत्र वन विभाग द्वारा प्राधिकरण को बाद में भेजा जायेगा।

7. बनने वाली रोड पर जे.डी.ए. द्वारा किया जाने वाला संभावित व्यय 21.00 लाख।

उपरोक्त के अनुसार अण्डर टेकिंग के सहमती पत्रों पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित/स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण की आयोजना शाखा में डेडीकेट कन्सलटेन्ट के माध्यम से कार्यरत् अरबन प्लानर की कार्यावधि बढाने एवं भुगतान के संबंध में।

प्राधिकरण की आयोजना शाखा में जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के प्रभावी क्रियान्वयन के कार्य एवं आपत्ति/सुझावों के निस्तारण एवं संबंधित आगामी कार्यवाही हेतू RAVIL द्वारा डेडीकेट कन्सलटेंट, इन्डिगो डिजाईन एण्ड इन्जिनीयरिगं एसोसिएट के माध्यम से पत्र दिनांक 10.05.2013 द्वारा सितंबर, 2013 से दिसंबर, 2013 तक की अवधि में दो अरबन प्लानर नियुक्त किये गये, जो कि पूर्व में चीफ कॉर्डिनेटर प्लानर की अध्यक्षता में जोधपुर मास्टर प्लान हेतू कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, जयपुर में कार्यरत थे। चीफ कॉर्डिनेटर प्लानर का कार्यकाल 31, मार्च 2014 को समाप्त हो चुका है। प्राधिकरण के पत्रांक F-37/ DIR.PLANNING/ JDA/ M.P./2014/1610 DATED : 26, FEB, 2014 द्वारा पूर्व में उक्त अरबन प्लानर की कार्यावधि 5 माह के लिये बढाई गई थी, जो कि मई, 2014 को समाप्त हो गई, जिसका भुगतान संबंधित अरबन प्लानर को किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त दोनों अरबन प्लानर जून, 2014 से आदिनांक तक निरन्तर कार्यरत है तथा मास्टर डवलप्मेंट प्लान–2031 (प्रारूप) हेतू प्राप्त आपत्ति/सुझावों में निरन्तर तकनीकी सहयोग (आपत्ति/सुझावों की जनसुनवाई में लोकेशन लगाने) एवं आपत्ति/सुझावों के निस्तारण हेतू कार्य संपादित कर रहे हैं। चूंकि मास्टर डवलप्मेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) जयपुर मास्टर प्लान की तर्ज पर GIS Software के माध्यम से बनाया गया है व उक्त दोनों अरबन प्लानर GIS Software में कुशल है तथा इनके अभाव में मास्टर डवलप्मेंट प्लान–2031 (प्रारूप) के अन्तर्गत प्राप्त आपत्ति/सुझावों का समय पर निस्तारण किये जाने में कठिनाई होगी एवं मास्टर प्लान–2031 लागू किये जाने में अनावश्यक विलम्ब होगा।

अतः इस संबंध में दो अरबन प्लानर की माह जून, 2014 से अक्टूबर, 2014 तक की कार्यावधि का नियमन व भुगतान करने एवं इस वित्तिय वर्ष तक दो अरबन प्लानर की कार्यवधि

बढाई जानी प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ बाद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित निदेशक–आयोजना ने राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों की छाया प्रति का अवलोकन कराते हुए दृष्टान्त प्रस्तुत किये। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–आयोजना द्वारा बैठक में अवगत कराये गये समस्त संबंधित पत्रों को परीक्षण हेतु निदेशक–वित्त को प्रस्तुत करेंगे। निदेशक–वित्त के परीक्षण के उपरान्त प्रकरण आर.ए.वी.आई.एल. (राविल) द्वारा नियुक्त अरबन प्लानर की अवधि बढ़ाने पर निर्णय लिया जावेगा तथा इसका भुगतान आर.ए.वी.आई.एल. (राविल) को पूर्व में जमा राशि में किया जावेगा। इस शर्त पर उपरोक्त प्रस्तावानुसार दो अरबन प्लानर दिनांक 31 मार्च, 2015 तक अथवा कार्य पूर्ण होने की तिथि जो भी पहले हो, तक संविदा के आधार पर आर.ए.वी.आई.एल. (राविल) के माध्यम से लिये गये अरबन प्लानर की सशर्त स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: प्राधिकरण की आयोजना शाखा में डेडीकेट कन्सलटेन्ट के माध्यम से 3 नये अरबन प्लानर अनुबंध पर रखे जाने एवं नये सेवानिवृत्त कार्मिक लगाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की दिनांक 11.08.2014 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया था कि जोधपुर, मास्टर डवलप्मेंट प्लान–2031 पर आपत्ति/सुझावों के प्राप्त करने की अवधि 29.08.2014 तक बढाई गई तथा उक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी पूर्व में प्राप्त आपत्ति/सुझावों की व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 29.08.2014 तक करेगी तथा 29.08.2014 तक प्राप्त होने वाली नई आपत्तियों व सुझावों का विश्लेषण का कार्य भी किया जाना है। उक्त निर्णयों के कारण आयोजना शाखा में कार्य की अधिकता के मद्देनज़र अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है।

वर्तमान में आयोजना शाखा में तीन लिपिक (जिनमें से एक लिपिक पूल शाखा में कार्यरत है व आयोजना शाखा का अतिरिक्त कार्यभार है) कार्यरत हैं, जिनके लिये उपरोक्तानुसार भवन निर्माण अनुज्ञा, मानचित्र स्वीकृति, ले–आउट अनुमोदन संबंधी पत्रावली एवं उपविभाजन/संयुक्तीकरण आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों एवं संबंधित शाखा में सूचना के अधिकार के तहत–2005, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ इत्यादि संबंधित कार्यों के निष्पादन का कार्य ही अपर्याप्त है। मास्टर डवप्लप्मेन्ट प्लान–2031 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतू एवं आपत्ति/सुझावों के संबंधित अग्रिम कार्यवाही व निस्तारण हेतू अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्तानुसार आयोजना शाखा में जोधपुर, मास्टर डवप्लप्मेन्ट प्लान–2031 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अन्य नियमित कार्यों में सहयोग के लिए तीन सेवानिवृत कार्मिक प्राधिकरण में अनुबंध पर नियुक्त किया जाना है। इसके अतिरिक्त तकनीकी कार्यों में सहयोग हेतू तीन नये तकनीकी सलाहकार (प्लानर/आर्किटेक्चर) को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड/मानदेय के आधार पर नियुक्त किया जाना है, जिनकी कार्यवधि इस वित्तिय वर्ष के अंत तक होगी।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ बाद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से दिनांक 31 मार्च, 2015 तक तीन सेवानिवृत कार्मिक प्राधिकरण में अनुबंध पर लिये जाने का निर्णय लिया गया तथा तकनीकी कार्य में सहयोग करने हेतु निदेशक–अभियांत्रिकी को प्राधिकरण में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ताओं में से 4 कनिष्ठ अभियन्ताओं को दिनांक 1 नवम्बर, 2014 से निदेशक–आयोजना के अधीन मास्टर प्लान के कार्य हेतु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के विभिन्न न्यायालयों में पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार न्यायालय वार पैनल अधिवक्ताओं एवं सहायक अधिवक्ताओं का नाम कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है :–

(1) <u>पैनल अधिवक्ता</u>

1. श्री अरूणेश्वर गुप्ता	उच्चतम न्यायालय
2. श्री अजीतसिंह कुण्डील	उच्चतम न्यायालय
3. श्री अनिल राजवंशी	उच्च न्यायालय
4. श्री दिलीप सिंह राजवी	उच्च न्यायालय
5. श्री श्रवण औझा	उच्च न्यायालय
6. श्री शंकरलाल सिनवाड़या	उच्च न्यायालय
7. श्री विवेक श्रीमाली	उच्च न्यायालय
8. श्री प्रदयुन सिंह खींची	उच्च न्यायालय
9. श्री रामेश्वर दवे	उच्च न्यायालय
10. श्री गोपीकिशन शर्मा	उच्च न्यायालय
11. श्री बसन्त कुमार विजयवर्गीय	राजस्व मण्डल
12. श्री जे.के. पंत	राजस्व मण्डल
13. श्री पूरणाशंकर दसोरा	राजस्व मण्डल
14. श्री पुखराज जांगिड़	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
15. श्री प्रकाशचन्द्र सिंघवी	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
16. श्री श्रीकिशन सुथार	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
17. श्री दौलतराम प्रजापत	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
18. श्री महावीर मेहता	उपभोक्ता संरक्षण मंच
19. श्री के. एस. चौहान	उपभोक्ता संरक्षण मंच
20. श्री धनराज वैष्णव	उपभोक्ता संरक्षण मंच
21. श्री अक्षय पुरोहित	उपभोक्ता संरक्षण मंच
22. श्री बाबूलाल विश्नोई	सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी राजस्व अपील
23. श्री नरेन्द्र जोशी	सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी राजस्व अपील
24. श्री ओमप्रकाश प्रजापत	सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी राजस्व अपील
25. श्री राजुसिंह राठौड़	सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी राजस्व अपील
26. श्री प्रतापसिंह राठौड़	सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी राजस्व अपील
27. श्री प्रतापसिंह राठौड़	सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी राजस्व अपील
28. श्री राजेश शर्मा	सम्भा. आयुक्त एवं जिला कलक्टर
29. श्री नाथूसिंह राठौड़	सम्भा. आयुक्त एवं जिला कलक्टर
30. श्री हनुमान प्रजापत	सम्भा. आयुक्त एवं जिला कलक्टर
31. श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित	श्रम न्यायालय
32. श्री विक्रमसिंह भाटी	श्रम न्यायालय
33. श्री महेन्द्र छंगाणी	जिला न्यायाललय के अधिनस्थ न्यायालय
34. श्री गोपीलाल ढाका	फौजदारी प्रकरण
35. श्री मोहन जाखड़	फौजदारी प्रकरण
36. श्री जयपाल सिंह राठौड़	जिला न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालय
37. श्री अशोक विश्नोई	जिला न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालय

सहायक अधिवक्ता

1. श्री जुगलकिशोर सेवग
2. श्री सत्यनारायण गोयल
3. श्री गोविन्द शर्मा
4. श्रीमती लक्ष्मी व्यास
5. श्री बालाराम
6. श्री अरूण दाधिच
7. श्री राजेन्द्र चौहान
8. श्री संतोष शर्मा
9. श्री अंकुर माथुर
10. श्री राहुल मुथा

(2) विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा पैनल में शामिल करने हेतु निवेदन किया गया। जिनकी सूची निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम एवं पता	अधिवक्ता का पता	सहायक / पैनल हेतु किया गया निवेदन	एनरोलमेन्ट नं. एवं वर्ष	मोबाईल नं.	कार्य अनुभव
1.	श्री राजवेन्द्र सारस्वत	रामायना, 1–2, श्री राधा माधव नगर, न्यू नागौर रोड़, जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता	R/675/06	9829098210	8 वर्ष
2.	साबिर खान	सी–36 / 2, पुलिस लाईन, रातानाडा, जोधपुर।	पैनल / सहायक अधिवक्ता	2274/06	9829082104	8 वर्ष
3.	श्री मोहनलाल जोशी	मुन्नी महाराज के मन्दिर के पीछे, मानसागर, महामन्दिर, जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता			–
4.	श्री मृगराजसिंह राठोड	गुरहा हाउस, कुडी हौद के पास, पाली रोड़, झालामण्ड जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता	R/3159/05	9828393605	7 वर्ष
5.	श्री सुशील विश्नोई	प्लॉट नं. 45, प्रथम गली, रूप नगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता	R/2832/03	9461007037	11 वर्ष
6.	श्री अजरूद्दीन	मकान नं. 10, बम्बा मोहल्ला, जोगियों की गली, जोधपुर।	सहायक / पैनल अधिवक्ता	R/1050/11	9667411332	4 वर्ष
7.	श्री आस्था रामदेव	शम्भु भवन, शनिश्चर जी का थान के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर।		R/705/04	9928278886	6 वर्ष
8.	श्री दीपक बोडा	17 / 724, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता	R/1612/05	9413543855	7 वर्ष

9.	श्री अंकुर माथुर	17ई / 785, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता	R/2823/10	9460277173	5 वर्ष
10.	श्री के.एस. चौहान	50, व्यास कॉलोनी, ओल्ड पाली रोड़, जोधपुर।	पैनल अधिवक्ता	342/87	9414474898	27 वर्ष
11.	श्री राहुल मूथा	डी–06, शास्त्रीनगर	सहायक / पैनल अधिवक्ता	R/655/2011	7728874485	3 वर्ष
12.	सुमन सांदड	म.न. 1 / 84 रेलवे वर्कशोप कोलोनी एल–2 / 2– डी के सामने,जोधपुर	पैनल अधिवक्ता	R/2111/07	9928246015	7 वर्ष
13.	हेमलता चौधरी	हाउस नं. 9, दाधीच नगर, महामन्दिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर	पैनल अधिवक्ता	R/30734/07	9414347407	7 वर्ष
14.	बिन्दू शर्मा	W-108, prescon city, NH-65, Pali road, Jodhpur	पैनल अधिवक्ता	1780/2005	9414477658	9 वर्ष
15.	प्रद्युमनसिंह खीची		पैनल अधिवक्ता	1828/2008	9929731220	5 वर्ष
16.	श्री राजेष मूथा	71 पृथ्वीराज नगर महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर	पैनल अधिवक्ता	-	9414066185	
17.	श्री प्रकाश चौधरी		पैनल अधिवक्ता			
18.	श्री राजेश जोशी	वेदों का बास महामन्दिर जोधपुर	पैनल अधिक्ता	999/01	9828101 159	14 वर्ष
19.	श्री बृजेन्द्र बेनीवाल		सहायक अधिवक्ता	R/646/11	9414655525	4 वर्ष
20.	श्री अमित दवे	336 आशापूर्णा वेली, बाई पास रोड, झालामण्ड जोधपुर	पैनल अधिवक्ता		9314702298	

ब– पैनल अधिवक्ताओं के पूर्व निर्धारित फीस एवं शर्तो पर पुर्नविचार कर निर्धारित किया जाना है। पूर्व निर्धारित फीस एवं शर्तो निम्नानुसार है :–

1. निर्धारित फीस –

क्र.सं.	न्यायालय	फीस
1.	माननीय उच्च न्यायालय	प्रति प्रकरण 5000 /– रूपये
2.	राजस्व मण्डल	प्रति प्रकरण 5000 /– रूपये
3.	जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड, सिविल कनिष्ठ खण्ड, राजस्व अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर, सहायक कलक्टर	प्रति प्रकरण 3000 /– रूपये

8

	जोधपुर तहसीलदार, जोधपुर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सम्भागीय आयुक्त, अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, उपभोक्ता संरक्षण मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग, श्रम न्यायालय, न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम न्यायालय एवं समकक्ष अधिनियिम न्यायालय	
4.	उच्चतम न्यायालय	वकील का चयन एवं वार्ता के अनुसार फीय देय (अध्यक्ष/आयुक्त से अनुमोदन पश्चात्)
5.	सहायक अधिवक्ता	प्रतिमाह मानदेय 3,000/- रूपये
नोट :: उक्त मेहनताने के अतिरिक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने पर टाईपिंग चार्जेज एवं निर्णय/आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने एवं बयानों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए विभिन्न खर्चो का भुगतान किया जायेगा।		

2. **पूर्व में आदेश दिनांक 30.03.2012 के द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति शर्तो पर की गई थी :-**

1. उक्त नियुक्त अधिवक्ताओं को प्राधिकरण के यह लिखित में अण्डर टेंकिग देना होगा कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण पैरवी हेतु नहीं लिया जावेगा।
2. प्राधिकरण के संबंधित किसी भी मुदकमे का निर्णय होने पर संबंधित अधिवक्ताओं का उस मुकदमें की पत्रावली व प्राधिकरण की पत्रावली मय निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही संबंधित अपनी रिपोर्ट भेजने के पश्चात् ही उसको मेहनताना का अन्तिम भुगतान किया जाएगा। यह कार्यवाही प्रभारी अधिकारी विधि शाखा/विधि अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
3. नियुक्त अधिवक्तागण प्रकरण की तारीख पेशियों से पूर्व प्रभारी अधिकारी को अवगत करायेंगे। जवाब दावा तैयार करने में प्रभारी अधिकारी की ओर से देरी होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अगवत करायेंगे।
4. निर्णय होने के 7 दिवस में हर सूरत निर्णय की प्रति मय राय से अवगत करायेंगे यदि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रति उक्त अवधि में नहीं दी जाती है तो मौखिक रूप से प्रभारी अधिकारी को सूचित करेंगे।
5. नियुक्त अधिवक्तागण उन्हें आवंटित प्रकरणों की मासिक प्रगति से निर्धारित प्रारूप में निदेशक (विधि) को अवगत करायेंगे।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण का न्यायालयवार पूर्व पैनल अधिवक्ताओं एवं सहायक अधिवक्ताओं के स्थान पर निम्नलिखित नए पैनल अधिवक्ताओं एवं सहायक अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया :-

पैनल अधिवक्ता

1.	श्री अरूणेश्वर गुप्ता	उच्चतम न्यायालय
2.	श्री अजीतसिंह कुण्डील	उच्चतम न्यायालय
3.	श्री अनिल राजवंशी	उच्च न्यायालय
4.	श्री दिलीप सिंह राजवी	उच्च न्यायालय
5.	श्री श्रवण औझा	उच्च न्यायालय
6.	श्री शंकरलाल सिनवाड़िया	उच्च न्यायालय
7.	श्री विवेक श्रीमाली	उच्च न्यायालय
8.	श्री प्रध्युमन सिंह खींची	उच्च न्यायालय

9.	श्री रामेश्वर दवे	उच्च न्यायालय
10.	श्री गोपीकिशन शर्मा	उच्च न्यायालय
11.	श्री प्रकाश चौधरी	उच्च न्यायालय
12.	श्री दीपक बोड़ा	उच्च न्यायालय
13.	श्री बसन्त कुमार विजयवर्गीय	राजस्व मण्डल अजमेर
14.	श्री जे.के. पंत	राजस्व मण्डल अजमेर
15.	श्री पूरणाशंकर दसोरा	राजस्व मण्डल अजमेर
16.	श्री पुखराज जांगिड	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
17.	श्री प्रकाशचन्द्र सिंघवी	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
18.	श्री श्रीकिशन सुथार	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
19.	श्री दौलतराम प्रजापत	जिला एवं अधिनस्थ न्यायालय
20.	श्री महावीर मेहता	उपभोक्ता संरक्षण मंच
21.	श्री के. एस. चौहान	उपभोक्ता संरक्षण मंच
22.	श्री धनराज वैष्णव	उपभोक्ता संरक्षण मंच
23.	श्री अक्षय पुरोहित	उपभोक्ता संरक्षण मंच
24.	श्री बाबूलाल विश्नोई	सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील
25.	श्री नरेन्द्र जोशी	सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील
26.	श्री दीपसिंह भाटी	सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील
27.	श्री ओमप्रकाश प्रजापत	सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील
28.	श्री राजुसिंह राठौड़	सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील
29.	श्री प्रतापसिंह राठौड	सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील
30.	श्री राजेश शर्मा	संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर
31.	श्री नाथूसिंह राठौड़	संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर
32.	श्री हनुमान प्रजापत	संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर
33.	श्री विक्रमसिंह राजपुरोहित	श्रम न्यायालय
34.	श्री विक्रमसिंह भाटी	श्रम न्यायालय
35.	श्री महेन्द्र छंगाणी	जिला न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालय
36.	श्री गोपीलाल ढाका	फौजदारी प्रकरण
37.	श्री मोहन जाखड़	फौजदारी प्रकरण
38.	श्री जयपाल सिंह राठौड	जिला न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालय
39.	श्री अशोक विश्नोई	जिला न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालय

सहायक अधिवक्ता

1. श्री जुगलकिशोर सेवग
2. श्री सत्यनारायण गोयल
3. श्री गोविन्द शर्मा
4. श्रीमती लक्ष्मी व्यास
5. श्री बालाराम
6. श्री अरूण दाधिच
7. श्री राजेन्द्र चौहान
8. श्री संतोष शर्मा
9. श्री बृजेन्द्र बेनीवाल
10. श्री अंकुर माथुर
11. श्री राहुल मुथा

बैठक में यह भी विचार विमर्श कर सर्व सम्मपति से निर्णय लिया गया कि पैनल अधिवक्ताओं को देय फीस एवं खर्चे पूर्व की भांति ही रखी जावें परन्तु सहायक अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग हेतु 500/– रूपये प्रति प्रकरण तथा अधिनस्थ न्यायालय में नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं के सहयोग हेतु 300/– रूपये प्रति प्रकरण देय होगें। इसके अलावा नियुक्ति शर्ते पूर्व की भांति यथावत रखते हुए विधि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को भी अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णय अनुमोदनार्थ आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 7 :: प्राधिकरण में स्वीकृति एक पुलिस निरीक्षक एवं 6 कांस्टेबल के पद भरने बाबत।

मुख्य नियंत्रक एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अवगत कराया है कि प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा में स्वीकृत सुदा पद एक पुलिस निरीक्षक एवं 6 कांस्टेबल के पद लम्बे समय से रिक्त है। अतः प्रवर्तन शाखा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु इनकी अत्यन्त आवश्यकता है। अतः इन पदों को शीघ्र अति शीघ्र भरेन बाबत प्रस्ताव लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श दौरान प्रभारी अधिकारी, स्थापन्ना शाखा ने अवगत कराया कि पुलिस निरीक्षक का कोई पद प्राधिकरण में स्वीकृत नहीं है। अतः विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से 6 कांस्टेबल के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव संबंधित को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: भदवासिया आर.ओ.बी. के भदवासिया रोड की एप्रोच निर्माण के मध्य आ रहे मंदिर, प्याऊ एवं मंदिर के निकट स्थित एक दुकान को हटाने/ अन्यत्र शिफ्ट करने बाबत।

भदवासिया आर.ओ.बी. के भदवासिया रोड़ की एप्रोच निर्माण के मध्य आ रहे मंदिर, प्याऊ एवं मंदिर के निकट स्थित दुकान नहीं हटने के कारण एप्रोच का निर्माण कार्य गत 9 माह से बाधित है। संवेदक द्वारा आर.ओ.बी. के समस्त वायाडक्ट स्पान एवं रेल्वे स्पान का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। एप्रोच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आर.ई. ब्लॉक्स की कॉस्टिंग का कार्य पूर्ण हुए लगभग 1 वर्ष का समय एवं एप्रोच के शुरू में स्थित पीयर ए–2 का निर्माण पूर्ण हुए लगभग 9 माह का समय बित चुका है। प्राधिकरण द्वारा रोडवेज एवं मण्डी परिसर के बाहर 52 दुकानों का निर्माण कार्य किया है। प्राधिकरण द्वारा जिसमें से मण्डोर रोड़ स्थित साईकिल मार्केट स्थित दुकानदारों को 10 दुकाने एवं भदवासिया रोड़ स्थित दुकानदारों को 23 दुकाने आवंटित की गई है। इस आवंटन पश्चात प्राधिकरण के पास 19 दुकाने शेष है। उपरोक्त वर्णित प्याऊ, मंदिर व दुकान के मालिक द्वारा मालिकाना हक हेतु किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्माण कार्य में हो रहे अत्यधिक विलम्ब, यातायात के सुगम आवागमन एवं स्थानीय नागरिकों को पुल पूर्ण न होने के कारण हो रही असुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए आर.ओ.बी. की भदवासिया रोड़ एप्रोच के निर्माण के मध्य आ रहे मंदिर, प्याऊ एवं दुकान अविलम्ब शिफ्ट करना/हटाना अतिआवश्यक है ताकि आर.ओ.बी. का बाधित निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। अतः प्रस्ताव समिति समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निम्नानुसार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गयाः–

1– जिला कलक्टर, जोधपुर के प्रतिनिधि
2– उपायुक्त पुलिस–पूर्व के प्रतिनिधि
3– उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – (समन्वयक)
4– आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर – (संबंधित क्षेत्र)
5– अधिशाषी अभियन्ता, शहर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5– सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर
6– अधिशाषी अभियन्ता, आरओबी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – (सदस्य सचिव)

उक्त समिति प्रश्नगत भूमि एवं उस पर निर्मित ढांचे के स्वामित्व की जांच करेगी तथा उक्त समिति द्वारा प्रश्नगत मंदिर, प्याऊ/दुकान के लिए शिफ्ट करने के सबंध में तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 तक सारगर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 9 :: निर्माणाधीन आर.ओ.बी. भदवासिया के रेल्वे स्पान (मण्डोर रोड़ की तरफ) के पास स्थित निजि दुकान का अधिग्रहण एवं प्राधिकरण द्वारा भदवासिया रोड़ पर रोडवेज व मण्डी परिसर के आगे नवनिर्मित दुकानों में से खाली पड़ी दुकानों में से एक दुकान आंवटित किए जाने बाबत्।

भदवासिया रेल्वे फाटक समपार संख्या LC-7 पर निर्माणाधीन पुल के रेल्वे स्पान के पीयर R-1 के समीप एक दुकान (कृष्णा वॉच कम्पनी एण्ड सेल्स) स्थित है। उक्त पीयर R-1 की पीयर केप का कुछ भाग इस दुकान की छत पर ओवरहेंग (लगभग 1.00 मीटर) के रूप में है। पीयर केप का कुछ भाग दुकान की छत पर ओवरहेंग होने के फलस्वरूप दुकान मालिक द्वारा इस दुकान के ऊपर भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है। दुकान मालिक द्वारा दुकान के ऊपर भविश्य में निर्माण करने की जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राधिकरण से पुनभरण/ पुर्नवासन की मांग की गई है।

अतः जेडीए द्वारा उक्त दुकान को अवाप्त कर लिया जाए एवं इस दुकान की एवज में दुकान मालिक को पुर्नवासन करने हेतु प्राधिकरण द्वारा भदवासिया रोड़ पर रोडवेज व मण्डी परिसर के आगे नवनिर्मित दुकानों में से खाली पड़ी दुकानों में से एक दुकान मय छत अधिकार आंवटित कर दि जाए एवं जेडीए द्वारा उक्त अधिग्रहित दुकान का छत का अधिकार जेडीए के पास रखते हुए नीलाम किया जाना प्रस्तावित है जिससे प्राधिकरण को राजस्व भी अर्जित होगा। अतः प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव संख्या 8 में वर्णित कमेटी भूमि के स्वामित्व की जांच करेगी। यह क्षेत्र आवासीय/व्यवसायिक है, उसका निश्चिय भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा तथा क्षतिपूर्ति/ मुआवजा का भुगतान, तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर सारगर्भित रिपोर्ट दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 तक आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 10 :: भदवासिया आर.ओ.बी. के मण्डोर रोड की एप्रोच निर्माण के मध्य आ रहे साईकिल मार्केट स्थित गणेश मंदिर को मंदिर के पीछे स्थित खाली जगह में निर्माण स्वीकृति बाबत।

भदवासिया आर.ओ.बी. के मण्डोर रेाड़ की एप्रोच का निर्माण कार्य साईकिल मार्केट स्थित गणेश मंदिर के कारण बाधित है। जिला कलेक्टर महोदय की साईट विजिट के दौरान स्थानीय नागरिकों की मांग के अनुरूप यह निर्देशित किया गया कि गणेश मंदिर का निर्माण मंदिर एवं दुकानों के पिछे स्थित खाली जगह में कर लिया जाए। निर्देशानुसार मंदिर एवं दुकानों के पिछे स्थित खाली जगह में मंदिर हेतु आवश्यक ढांचा मय आरसीसी छत पूर्ण कर लिया गया है एवं फिनिशिंग एवं विद्युतीकरण कार्य करना शेष है। प्ररकण समिति समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने/अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: लोरडी पण्डित संस्थागत योजना क्षेत्र में सडक निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लोरडी पण्डित स्थित प्राधिकरण की संस्थागत योजना अवस्थित है। इस योजना के भूखण्डों को नीलामी द्वारा विक्रय किया जाना है। अतः योजना में विकास हेतु इसकी मुख्य सडक निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी की पालना में मुख्य सडक को डब्ल्यू.बी.एम. सडक के रूप में निर्माण करवाये जाने के लिए तकमीना राशि रूपये 64.60 लाख रूपये का तैयार किया गया है। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से:–

प्रस्ताव संख्या 12 :: विकास कार्यों के संबंध में।

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी ने अवगत कराया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.7.14 की प्रस्ताव सं. 06 में निम्न कार्यो को निरस्त अथवा बढाई गयी वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति समाप्त कर दी गई है यह निम्न कार्य त्रुटिवंश सूची में संलग्न दिये गये थे इनका अन्तिम बिल बनाया जाना शेष है तथा निम्न कार्यो को पुनः संशोधित स्वीकृति तक करवाने की अनुमति की आवश्यकता होगी:–

(1) जोन :– पूर्व

विषय :– कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 एवं 31, जुलाई, 2014 में निरस्त किये गये एक कार्य को बहाल के सबंध में।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 एवं 31, जुलाई, 2014 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 6(1)"प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये ये ऐसे कार्य जो वर्तमान तक आरम्भ नही हुऐं, को निरस्त करने के सबंध में" इसके तहत समिति में सभी जोनो के जो कार्य शुरू नही हुए, वे 456 कार्य निरस्त कर दिये गये थे। ये निरस्त किये गये कार्यो में एक कार्य क्रम संख्या 336 पर शहर की सड़को पर रोड़ फर्निचर का कार्य जिसका कार्य आदेश 85 लाख व अनुबन्ध संख्या 130/13–14 है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित मोनिटरिंग कमेटी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार इस अनुबन्ध के तहत कार्य करवा दिया गया था। आगे भी मोनिटरिंग कमेटी द्वारा दिये जा रहे निर्देशो में रोड़ फर्निचर का कार्य कराया जाना है। जोन दक्षिण–बी की सूचि अनुसार यह कार्य निरस्त की श्रेणी में आ गया है। अतः इस कार्य को निरस्त की सूचि से बाहर कराने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:–

1– जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2– प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

2

3– जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

(2) जोन :– मुख्यालय

प्रस्तावः– वार्ड नम्बर 47 मनशा बाबारी दरगाह से दस टुटियों की गली तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य को प्रगतिरत कार्य की सूची में रखने बाब्त।

वार्ड नम्बर 47 मनशा बाबारी दरगाह से दस टुटियों की गली तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का कार्यादेश ø38;15द्ध13.14 मैसर्स रजब कंन्स. कम्पनी को दिया गया था उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृती रूपये 28.55 लाख की है। उक्त कार्य में प्रथम रनिंग बिल का भुगतान रूपये 5.66 लाख का किया जा चुका है। यह कार्य त्रुटिवंश कार्य प्रारम्भ नहीं की सूची में रख दिया गया जिसके कारण पूर्व ई.सी. मिटिंग में कार्य निरस्त करने का आदेश दिया गया था। चुंकि मौके पर यह कार्य पूर्व में हो चुका है एवं इसका भुगतान भी किया जा चुका है। अतः इसे कार्य को प्रगतिरत कार्य की सूची में रखने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीः–

1– जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2– प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3– जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

........................लगातार पृष्ठ संख्या–14

2

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.08.2013 व 23.09.2013 व 24.09.2013 मे लिये गये संशोधित स्वीकृति के कार्यो की सूची (विधानसभा वार) मे संशोधन बाबत्।

उतर पार्ट 'ए'बी'

क. स.	कार्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र	मुल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	संशोधित स्वीकृति राशि लाखें में	कुल स्वीकृति राशि	कार्य पर अन्तिम विपत्र तक व्यय राशि लाखों मे संशोधित बाबत्	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सांसी बस्ती रातानाडा मे स्कूल के उपरी मंजिल पर कमरो का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	37.00	54.10	91.10	73.40	कार्य का अन्तिम बिल करने में 73.40 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 73. 40 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
2	मदेरणा कॉलोनी अन्नासागर में हरिजन समाज श्मशान मे टीन शेड व हॉल निर्माण कार्य	सरदारपुरा	15.50	14.50	30.00	17.10	कार्य का अन्तिम बिल करने में 17.10 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 17. 10 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
3	सैनिक क्षत्रिय माली समाज के स्वर्गाश्रम मदेरणा कॉलोनी अन्नासागर मे हॉल चार दीवारी गेट इत्यादि का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	16.30	8.25	24.55	18.60	कार्य का अन्तिम बिल करने में 18.60 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 18. 60 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
4	रा.उ.मा. वि. मण्डोर नम्बर 01 में दो कक्षा कक्षो मय बरामदा तथा झुले लगाने का कार्य	सरदारपुरा	10.00	13.68	23.68	20.00	कार्य का अन्तिम बिल करने में 20.00 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 20. 00 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
5	महात्मा ज्योति बॉ फूले छात्रावास माता का थान पूंजला में विकास कार्य (विधायक कोष)	सरदारपुरा	10.00	91.00	101.00	19.50	कार्य का अन्तिम बिल करने में 19.50 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 19. 50 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
6	सावित्री फुले हर्बल पार्क विकास कार्य	सरदारपुरा	24.00	9.07	114.00	47.50	कार्य का अन्तिम बिल करने में 47.50 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 47. 50 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
7	सैनिक क्षेत्रिय माली समाज श्मससान माता का थान में दिवार ऊंची करने व अन्य कार्य	सरदारपुरा	50.00	122.16	172.16	97.50	कार्य का अन्तिम बिल करने में 97.50 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई

2

							गयी राशि को 97. 50 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
8	मामा नाडी पार्क मे विकास कार्य	सरदारपुरा	45.00	103.99	148.99	89.50	कार्य का अन्तिम बिल करने में 89.50 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 89. 50 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
9	बायासा मन्दिर में सामुदायिक भवन व चार दिवारी निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	24.00	27.00	51.00	45.00	कार्य का अन्तिम बिल करने में 45.00 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 45. 00 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
10	बेरी गंगा में खेतलाजी मन्दिर मे सामु. भवन व अन्य विकास कार्य।	भोपालगढ	44.40	21.05	65.45	52.00	कार्य का अन्तिम बिल करने में 52.00 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 52. 00 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
11	वैष्णव समाज जाजीवाल में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	भोपालगढ	22.50	41.50	64.00	34.50	कार्य का अन्तिम बिल करने में 34.50 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 34. 50 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
12	सांसी बस्ती जाजीवाल मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	भोपालगढ	24.00	37.00	61.00	30.50	कार्य का अन्तिम बिल करने में 30.50 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 30. 50 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
13	ग्रम पचायत सालवा कला के शहीद पार्क के पास सामदुायिक भवन का निर्माण कार्य।	भोपालगढ	35.00	87.00	122.00	40.00	कार्य का अन्तिम बिल करने में 40.00 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 40. 00 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
	Total		**357.70**	**630.30**	**1068.93**	**585.10**	

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीः–

1— जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2— प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3— जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

....लगातार पृष्ठ संख्या—17

जोन :— विद्युत

1	चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न पार्को व चौराहो पर विद्युतीकरण का कार्य।गत बैठक प्रस्ताव सं. 06(13) सूचि मे नं. 120 पर है।	सूरसागर	50.00	25.00	75.00	75.0	कार्य का अन्तिम बिल करने में 75.00 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 75. 00 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
2	मान सागर महामन्दिर में विद्युतीकरण का कार्य। गत बैठक प्रस्ताव सं. 06(13) सूचि मे नं. 221 पर है।	सरदारपूरा	48.00	30.00	78.00	78.00	कार्य का अन्तिम बिल करने में 78.00 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 78.00 लाख तक सिमित करने हेतु प्रस्तुत है।
3	मानसागर महामन्दिर पार्क में म्युजिकल फाउण्टेन लगाने का कार्य।गत बैठक प्रस्ताव सं. 06(13) सूचि मे नं. 223 पर है।	सरदारपूरा शहर	48.00	42.00	90.00	90.00	कार्य का अन्तिम बिल करने में 90.00 लाख की आवश्यकता होगी अतः बढाई गयी राशि को 90.00 लाख तक यथावत करने हेतु प्रस्तुत है।
4	जोन 6 वार्ड सं. 44,45,46, एवं 47 में विद्युतीकरण का कार्य। गत बैठक प्रस्ताव सं. 06(13) सूचि मे नं. 262 पर है।	शहर	22.00	0.58	22.58	22.58	कार्य पुर्ण अतिम बिल पारित किया जा चुका है तथा सवेदक की एस.डी. लोटाई जा चुकी है। अतः बढाई गयी राशि को 22.58 लाख तक यथावत करने हेतु प्रस्तुत है।
5	फॉटो कॉपी करने का कार्य। (वार्षिक अनुबंध के तहत)गत बैठक प्रस्ताव सं. 06(13) सूचि मे नं. 304 पर है।	कार्यालय उपयोग कार्य।	20.00	15.00	35.00	35.00	उक्त कार्य की **A&F** दी जा चुकी निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रगति पर है अतः बढाई गयी राशि को 22.58 लाख तक यथावत करने हेतु प्रस्तुत है।
6	जोधपुर विकास प्राधिकरण शहर में विभिन्न स्थानो पर लगे फव्वारो एवं म्युजिकल फव्वारो का रख रखाव का कार्य।(वार्षिक अनुबंध के तहत) गत बैठक प्रस्ताव सं. 06(13) सूचि मे नं. 306 पर है।	सरदारपूरा, शहर	25.00	40.00	65.00	65.00	वर्ष 2014 –15 के लिये **A&F** ली जा चुकी है निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रगति पर है अतः बढाई गयी राशि को 65.00 लाख तक यथावत करने हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:–

1— जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2— प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3— जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

जोन :— पश्चिम

1	कर्मचारी कॉलोनी ग्राम खंसरा नं. 713 में नाला निर्माण कार्य	लूणी	145.00	50.87	195.87	189.50	योजना क्षेत्र का कार्य है
2	राजीव गांधी नगर विस्तार योजना में सड़क निर्माण कार्य	लूणी	115.00	103.50	218.50	198.50	योजना क्षेत्र का कार्य है ।
3	बालाजी के बुडिया से गोलासनी गांव तक सडक निर्माण कार्य	लूणी	302.39	45.35	347.74	347.74	टी.पी. अधिक होने के कारण संशोधित स्वीकृति ली गई थी।
4	ग्राम पंचायत लोरडी देजगरा के ग्राम लोरडी डोलिया में पाली वालो का बास में 01 कि.मी. रोड निर्माण कार्य	लूणी	45.00	40.00	85.00	60.50	कार्य का अंतिम बिल शेष।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक—अभियांत्रिकी एवं निदेशक—वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:—

1— जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2— प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3— जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

जोन :– मुख्यालय

प्रस्ताव :– ई.एस.आई रोड़ पर डामरीकरण कार्य की संशोधित स्वीकृत राशि को निरस्त नहीं किये जाने बाबत्।

ई.एस.आई रोड़ पर डामरीकरण कार्य का कार्यादेश क्रमांक 3779–3784 दिनांक 12.02.2013 के द्वारा मैसर्स रूपा कोन्ट्रेक्टर को दिया गया था उक्त कार्य की अनुबन्ध संख्या 38(229)12–13/मेज है तथा कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 89.31 लाख की थी। इस कार्य की प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.08.13 में राशि 35.00 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रकार कुल राशि रूपये 89.30+35.00=124.30 लाख की राशि स्वीकृति है। चुंकि उक्त कार्य में डामरीकरण का कार्य शेष है जो करवाया जाना अतिआवश्यक है। अब तक उक्त कार्य पर राशि 73.95 लाख व्यय हो चुके है। त्रटिवंश इस कार्य को पूर्व की ई.सी. बैठक दिनांक 30.07.2014 व 31.7.2014 में दिनांक 13.8.2013 की प्राधिकरण बैठक में स्वीकृत राशि 35.00 लाख को निरस्त कर दिया गया था जो कि बैठक कार्यवाही विवरण के परिशिष्ठ 3 के क्रम संख्या 113 पर दर्ज है।
चूंकि उक्त अनुबन्ध के तहत अभी कार्य करवाया जाना शेष है अतः दिनांक 30.07.2014 एवं 31.07.2014 की बैठक में निरस्त किये गये 35.00लाख की अतिरिक्त स्वीकृति को पुनः नियमित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:–

1– जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2– प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3– जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव .... जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर रेलिग लगाने का कार्य:–

जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानों पर रेलिग लगाने का कार्य का कार्यादेश F38(106)13-14 मैसर्स शिवदान सिंह भाटी को दिया गया था उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृती रूपये 24.00 लाख की है। उक्त कार्य जोन के अन्तर्गत होने के कारण निरस्त किया जाना उचित नहीं होगा अतः इस कार्य को प्रगतिरत सूची में रखने की अनुमति दी जाये। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:–

1— जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2— प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3— जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

.........लगातार पृष्ठ संख्या--21

जोन :– पूर्व

क्र.सं.	कार्य का नाम	विधानसभा क्षेत्र	मूल प्रा. एवं वित्तीय स्वी.(लाखों में)	संशोधित स्वीकृत राशि (लाखों में)	कुल स्वीकृत राशि	कार्य पर साईट अनुसार संभावित कुल संभावित व्यय	विशेश विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आदर्श नगर रमजान हत्था में सडक निर्माण कार्य।	लूणी	51.20	50.00	101.20	90.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
2	रूप नगर नान्दडी में सडक निर्माण कार्य।	लूणी	30.55	50.00	80.55	50.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
3	हाईवे रोड से अनन्त लेवसि स्कूल होंते हुए कटाण के रास्ते से नान्दडी गांव तक सडक निर्माण कार्य।	लूणी	80.00	100.00	180.00	70.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
4	श्रीयादे नगर कुम्हारों की ढाणी मुख्य सडक श्री रामजी की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य।	लूणी	45.00	120.00	165.00	80.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
5	ग्राम मुख्यालय फिटकासनी से ग्राम खारडा रणधीर तक सडक निर्माण कार्य।	लूणी	90.70	75.00	165.70	120.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
6	ग्राम पलासनी से सेवालों की ढाणी तक डामरीकरण का कार्य।	लूणी	91.40	110.00	201.40	130.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
7	नागेश्वर नगर (झालामण्ड में सडक निर्माण कार्य)	शहर	61.45	75.00	136.45	75.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
8	नवदुर्गा नगर खसरा नं. 4 झालामण्ड में सडक बनाने का कार्य	शहर	130.00	60.00	190.00	210.00	डामारीकरण का कार्य करवाया जाना शेष
9	शिव मंदिर रोड रातानाडा पर मुख्य शिविर लाईन का कार्य।	शहर	31.98	35.00	66.98	36.00	अन्तिम बिल शेष
10	गांधी कॉलोनी भगत की कोठी में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	शहर	16.70	30.00	46.70	30.00	फिनिशिंग कार्य शेष
11	रा.उ.मा. विधालय दण्ड स्कूल झालामण्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	शहर	45.00	110.00	155.00	70.00	फिनिशिंग कार्य शेष
12	वार्ड नं. 41 मुख्य सडक निर्माण विकास का कार्य।	शहर	150.00	150.00	300.00	155.00	अन्तिम बिल शेष

2

अतः उपरोक्त समस्त कार्यो को संशोधित स्वीकृति तक करवाने तथा दिनांक 30.07.2014 की कार्यकारी समिति की बैठक में निरस्त किये गये कार्यो की पुनः 12.8.2014 की कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया था। उक्त बैठक में निदेशक अभियांत्रिकी एवं वित से गुण एवं दोष के आधार पर पुनः विचार करने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त प्रकरण पुनः विचार विर्मश कर कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृती हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगीः–

1– जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2– प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3– जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 13 :: विद्युत शाखा के प्रस्ताव

संवेदक मैसर्स सोलंकी एन्टरप्राईजेज द्वारा दो पत्र अलग–अलग निम्नानुसार कार्यो के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरी फर्म को आवंटित दो निम्न कार्यादशो की समय सीमा समाप्त हो गयी है। अतः कार्य जितना भी हुआ है वही पर समाप्त कर अन्तिम बिल बना कर मेरी फर्म की जमा पी.जी. राशि आर्थिक कारणों से लौटाने की मांग की है। चूंकि कार्यादेश आवंटन पश्चात लगातार एम.एल.ए./एम.पी. चुनाव की आचार संहिता लगी रही साथ ही जोधपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से कार्य बन्द है तथा निम्न कार्य नोन प्लान/गैर योजना क्षेत्र के जोन क्षेत्र में कार्य करने के है उक्त कार्य आवश्यकतानुसार एवं मांग पर निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों पर करवाये जाने का है। दिनांक 30.07.2014 को कार्यकारी समिति की बैठक में वार्ड 1 से 65 जो नगर निगम जोधपुर के क्षेत्र में आते है में विद्युत एवं अन्य कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं करने के आदेश प्रदान किये गये थे इसी के अनुसार एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इस जोन में आने वाले गांवो में भी कार्य फिलहाल इन परिस्थितीयो में नहीं किया जा रहा है जब भी आर्थिक स्थिति ठीक होगी उस समय पुनः स्वीकृती प्राप्त कर किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण निम्नानूसार कार्य वर्तमान स्थीति में समाप्त कर पी.जी. राशि संवेदक को लोटाने हेतु प्रस्तुत है।

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति (लाखों में)	कार्यादेश राशि (लाखो में)	आज तक किया गया कार्य (लाखों में)	कार्य शुरू करने की दिनांक	कार्य पूर्ण करने की दिनांक	पी.जी राशि (लाखों

2

1.	जोन दक्षिण ए के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवो एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। कार्यादेश संख्या 1902/ 4.10.2013	120.00	88.37	3.80	13.10.2013	12.04.2014	19.79
2.	जोन दक्षिण बी के विभिन्न जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के गांवो एवं जोन इत्यादि में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य। कार्यादेश संख्या 1889/ 3.10.2013	80.00	58.04	1.27	14.10.2013	13.04.2014	12.22

उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से प्रत्येक पत्रावली का परीक्षण कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:–

1– जोनवार प्रत्येक कार्य का भुगतान दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी।

2– प्रत्येक कार्य की माप पुस्तिका में हुए रिकार्ड मेजरमेंट दिनांक 30 जुलाई, 2014 से पूर्व होने की जांच करेगी एवं

3– जोनवार प्रत्येक कार्य का भौतिक सत्यापन करेगी। सत्यापन कमेटी में कार्य करने वाले एवं माप पुस्तिकाओं में इन्द्राज करने वालों के अलावा अधिकारी जिसमें एक अधिशाषी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता होंगे जो अन्य जोन के होंगे।

उक्त बिन्दुओं पर परीक्षण में सही पायी गयी पत्रावलियों की सूची आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 14 :: वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्राधिकरण कार्मिकों हेतु बोनस, उपहार कय करने एवं मिठाई के लिए भुगतान की स्वीकृति बाबत।

प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एक्सग्रेसिया बोनस, उपहार क्रय करने एवं मिठाई के लिय नकद भुगतान की स्वीकृति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की तर्ज पर किया जाना है।

प्राधिकरण कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु एक्सग्रेसिया बोनस की स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश एफ–4(10)जेडीए/स्थापन/पार्ट–II/ दिनांक 14.10.2014 द्वारा बोनस की राशि रूपये 8400/– स्वीकृति की गई है। जिनकी ग्रेड–पे रूपये 5400/– (अराजपत्रित) हो तथा एफ.4(1)जेडीए/स्थापन/83/पार्ट–II दिनांक 14.10. 2014 (राजपत्रित) हेतु जिनकी ग्रेड–पे 5400/– से अधिक है।

प्राधिकरण में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को दीपावली 2014 के अवसर पर रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये मात्र) उपहार क्रय करने हेतु नकद भुगतान एवं रूपये 1000/– (अक्षरे एक हजार रूपये मात्र) मिठाई के लिए नकद भुगतान की स्वीकृति भी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश प.–4(10)जविप्रा/संस्थापन/83 पार्ट–II दिनांक 14.10.2014 जारी की गई है।

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की तर्ज पर ही जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में उक्तानुसार स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अराजपत्रित कर्मचारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भांति बोनस, उपहार एवं मिठाई कय करने हेतु राशि भुगतान करने की स्वीकृति तथा राजपत्रित अधिकारियों को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के बराबर एक्सग्रेसिया, उपहार एवं मिठाई कय करने की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अज़रा परवीन)
सचिव

क्रमांक/आवंटन/2014/1802–5/2/2346-78 दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. ....

(अज़रा परवीन)
सचिव

2346-78
22/10/14

परिशिष्ट–1

दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री आर.आर. विश्नोई, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
2. श्री कैलाशदान जुगतावत, सहायक उपायुक्त पुलिस–यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
3. श्री जनार्दन शर्मा, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
4. श्री शिवकरण चौधरी, प्रबन्धक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
5. श्री आर.एन. विश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता (केएआई), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री आर.पी. शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री एस.आर. जोशी, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री अनिल माथुर, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री सी.आर. देवासी, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्रीमती (डॉ.) सुनिता पंकज, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री मोहनसिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्रीमती अज़रा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर